डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 भीमसिंह बनाम प्रेमचंद वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 3/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– " व हाजरी " वादी मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी आराजी खसर नंबर 738 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28/8/25 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——— [signature] 28/8/25

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Scanned with OKEN Scanner

1. भीमसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई भरतपुर।

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र विष्णु जाति कुम्हार निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भ
2. प्रेमसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई भरतपुर।
3. अमरसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई भरतपुर।
4. अजयसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई भरतपुर।
5. नटवर सिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई भरतपुर।
6. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
7. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

28/8/25

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 3/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00005
किस्म दावा 88,89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 28/8/25

1. भीमसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादी

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र विष्णु जाति कुम्हार निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. प्रेमसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. अमरसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अजयसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. नटवर सिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
7. सब रजिस्ट्रार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनियां एड.(वादी की ओर से)
श्री जगवीर सिंह एड. (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित आराजी आराजी खसर नंबर 738 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2071–74 संलग्न है।
2. यह कि खसरा नंबर 600 का साबिक खसरा नंबर संवत 2028 में खसरा नंबर 473 रकबा 5 बिस्वा है। खसरा नंबर 738 वादी की पैतृक संपत्ति है जो कि संवत 2043–2046 तक जमाबंदी में वादी के मृतक पिता हरसुख पुत्र डरोला के नाम राजस्व

28/8/25

रिकॉर्ड में दर्ज थी। परन्तु राजस्व कार्मिकों ने उक्त खसरा नंबर को साज करके प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमचंद के नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। परन्तु उक्त खसरा नंबर पर पैतृक संपत्ति होने के कारण वादी का आज भी कब्जा है तथा निर्विवाद रूप से अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त खसरा नंबर को वादी जोतता बोता चला आ रहा है। चूंकि उक्त खसरा नंबर हाल जमाबंदी में प्रतिवादी नंबर 1 के नाम इन्द्राज है। जिसको प्रतिवादी ने किसी दीगर व्यक्ति से बेचान हेतु संपर्क स्थापित किया उक्त संभावित क्रेता ने खेत की जानकारी की तो वादी के कब्जे में होने पर संभावित क्रेता ने बताया कि उक्त खसरा नंबर को मैं प्रेमचंद से खरीद रहा हूं। उक्त खसरा नंबर का विक्रय का वादी को पता चला तो संबंधित दस्तावेज की नकल लेकर जानकारी की और प्रतिवादी से न बेचने को कहा तो खुलेआम धमकी दी कि उक्त विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर दूंगा जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

3. यह कि बिनायमुखासमत यौम देने धमकी दिनांक 10.01.2018 को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिए जाने से वादी को यह दावा लाने का हक नालिस प्राप्त है।

4. यह कि उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें। रहनवय मुन्तकिल न करे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री जगवीर सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम टोहिला प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम टोहिला प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2043–2046 वाके ग्राम टोहिला प्रदर्श 3 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में भीमसिंह पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी टोहिला के

28/8/25

शपथ पथ पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए अतः पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 738 रकबा 0.03 हैक्ट0 वाके ग्राम टोहिला जो कि गत खसरा नंबर 600 रकबा 3 बिस्वा से निर्मित ह जो कि नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2 से सिद्ध होता है। संवत 2028 के साबिक खसरा नंबर 473 रकबा 5 बिस्वा से निर्मित है। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 600 वाके ग्राम टोहिला नकल जमाबंदी संवत 2043–2046 प्रदर्श 3 में वादी के पिता हरसुख पुत्र डरोला जाति जाट निवासी टोहिला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त विवादित आराजी संवत 2060 में प्रतिवादी संख्या 01 प्रेमचंद के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र के विरूद्ध न तो जबाव दावा पेश किया है और न ही कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रतिवादी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि उक्त विवादित आराजी को रजिस्ट्री के साथ क्रय किया गया था एवं बाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। दो खसरा नंबर पर विवाद था, दूसरे खसरा नंबर का वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। अतः दावा वादी खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि हाल विवादित आराजी खसरा नंबर 738 वाके ग्राम टोहिला जो कि साबिक खसरा नंबर 600 एवं 473 से निर्मित हैं। नकल जमाबंदी संवत 2043–2046 में उक्त खसरा नंबर 600 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पेश किए गए शपथ पत्र भी उक्तानुसार ही है। अतः उक्त विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी रही है। प्रतिवादी

28/8/25

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 द्वारा इसके विरोध में कोई भी ऐसा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 738 वाके ग्राम टोहिला प्रतिवादीगण की खरीदशुदा एवं पैतृक आराजी हो। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी आराजी खसर नंबर 738 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम टोहिला तहसील नदबई पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/8/25

गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner